Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

वादी: हरीशचन्द्र सिंह दीपपुत्र

बनाम

प्रतिवादी: [illegible] दीपपुत्र.

किस्म मुकदमा: सारस्व वाद अधीन धारा: 188 88 R.T. Act मु.नं.: 40/2020

Roms No 2020/00075-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09/11/2023	वकालत उभय वादी व प्रतिवादीगण [illegible] की तामील हेतु [illegible] बार-बार हिदायत के बावजूद तामील नहीं किये गये है। अतः वाद वादी order 9 Rules cpc में खारिज किया जाता है। मुकदमा फैसल शुमार होकर फाईल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:46 IST
Reason: SelfAttested